



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-31-01-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त सुनील कुमार जयसवाल को गैंगेस्टर एक्ट के प्रकरण में
मा0 न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल- 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
गया ।

थाना-दशाश्वमेध में पंजीकृत मु0अ0सं0- 140/2002 धारा- (3)1 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार जयसवाल पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासी भूलेटन थाना चौक वाराणसी को थाना-दशाश्वमेध पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 31-01-2025 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- (3)1 यूपी गैंगेस्टर एक्ट में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी